पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–01/2014 104 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, किशनगंज।

पटना, दिनांक– 02/2/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर परिषद्, किशनगंज में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण मद की ₹78.927 लाख (अठहत्तर लाख बानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज के पत्रांक– 210, दिनांक– 02.02.2017 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 103 दिनांक– 02/2/18 के आलोक में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹78.927 लाख (अठहत्तर लाख बानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1.	नगर परिषद्, किशनगंज	वार्ड नं०– 32 एवं 33 में काशीनाथ शर्मा के घर से कुष्ठ कॉलोनी होता हुआ माछमारा एवं हाथीपट्टी करबला चौक से रमजान नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	78.92700	39.46350	39.46350

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र।

2. आवंटित कुल ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्,**

किशनगंज होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. आवंटित राशि ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 192–नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021920102,** विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

01.2.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–01/2014 104 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–02/2/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.2.18

सरकार के विशेष सचिव।

E-mail
speedpost/[illegible]

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–01/2014 103 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित*

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–02/2/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर परिषद्, किशनगंज में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण मद की ₹78.927 लाख (अठहत्तर लाख बानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज के पत्रांक– 210, दिनांक– 02.02.2017 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध के आलोक में जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹78.927 लाख (अठहत्तर लाख बानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1.	नगर परिषद्, किशनगंज	वार्ड नं०– 32 एवं 33 में काशीनाथ शर्मा के घर से कुष्ठ कॉलोनी होता हुआ माछमारा एवं हाथीपट्टी करबला चौक से रमजान नदी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	78.92700	39.46350	39.46350

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत कुल ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज होगें,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/ वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. स्वीकृत राशि ₹39.46350 लाख (उनचालीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 192–नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021920102,** विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०नि०–02–01/2014 के पृष्ठ सं०– 99 /टि० पर दिनांक– 01.02.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 99 /टि० पर दिनांक– 01.02.2018 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1.9.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–01/2014 103 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 01/2/18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, किशनगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.9.18

सरकार के विशेष सचिव।